आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई एवं तिथि
1	2	3
1	अभिलेख उपस्थापित किया गया। देनदार कुशल गागराई, पिता— स्व० रघु गागराई ग्राम— कुमारडुँगी थाना— कुमारडुँगी, जिला पश्चिमी सिंहभूम, झारखण्ड का नीलाम पत्र वाद सं० 92(Adv)/70-71 के नाम से नोटिस तामिला किया गया। देनदार से नीलाम पत्र की राशि मुलधन-464.79 ब्याज-1185.11 लगत-5.00 कुल-1654.90 रूपये बिहार उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम 1914 के अन्तर्गत वसूली कर ली गयी है। अतः अभिलेख की आगे की कार्रवाई बन्द की जाती है।	3